

आदेश

श्री प्रदीप पुत्र श्री भगवान सिंह, पंच, ग्राम पंचायत थाना, बार्ड नं० 05, खण्ड नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल द्वारा पंच पद से दिया गया त्याग पत्र/शपथ पत्र दिनांक 27.02.2025 जो उपायुक्त, महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल के सिफारिश पत्र क्रमांक 3887/पंचायत दिनांक 01.08.2025 सहित प्राप्त हुआ है, को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 5 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

चण्डीगढ़, दिनांक
22.08.2025

दुष्मन्ता कुमार बैहेरा, आई०ए०एस०
महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक ई०सी०ए००५-2025 / 4044-20

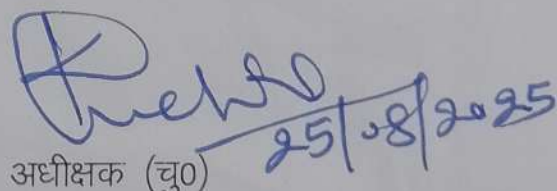
दिनांक : 25/8/25

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा, निर्वाचन सदन, प्लॉट नं० 2, सैक्टर-17, पंचकूला।
2. उपायुक्त, महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल को उनके सिफारिश पत्र क्रमांक 3887/पंचायत दिनांक 01.08.2025 के संदर्भ में।
3. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल।
4. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, नारनौल (जिला महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल)।
5. संरपच, ग्राम पंचायत थाना, खण्ड नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल।
6. श्री प्रदीप पुत्र श्री भगवान सिंह, निवासी गांव थाना, तहसील नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल।
7. आई०टी० सैल, मुख्यालय।



Mohit


अधीक्षक (चु०) 25/8/2025

कृते: महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़।